

अधिसूचना

विषय:—सेवानिवृत्त रेल कर्मचारियों को आगरा मंडल में मासिक पारिश्रमिक आधार पर गतिशक्ति यूनिट पुनर्नियोजित किये जाने के सम्बन्ध में।

1. रेलवे बोर्ड के पत्र सं० 2021/W-I/GNL/Gatishakti dated 27.07.2022 एवं मुख्यालय प्रयागराज के पत्र सं० NCR-Hq0PERS(NCDR)/69/2022-O/oDy.CPO/HQ/NCR दिनांक 28.09.2022 के अनुसार आगरा मंडल से सेवानिवृत्त कर्मचारियों को मासिक पारिश्रमिक आधार पर आगरा मंडल पर गतिशक्ति यूनिट के निम्नांकित पदों पर पुनर्नियोजन करने हेतु निर्णय किया गया है।
2. अतः आगरा मंडल से सेवानिवृत्त कर्मचारी निम्नांकित शर्तों के अध्याधीन निर्धारित प्ररूप पर प्रार्थना पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। प्रार्थना पत्र दिनांक 01.11.2022 या उससे पूर्व भर्ती अनुभाग मंडल रेल प्रबंधक / कार्मिक, आगरा को भेज जा सकते हैं। पदों का विवरण निम्नप्रकार है:—

Sr. No	Sub-Unit	Category of staff	No of Staff
01	Dy.CE/GSU/Agra	Ch.OS	01
		SSE/Drawing	02
		SSE/Works	04
		SSE/P.Way	04
Total			11
02	Dy.CSTE/GSU/Agra	Ch.OS	01
		SSE/Signal	03
		SSE/Drawing	01
		SSE/Telecom	01
Total			06
03	Dy.CEE/GSU/Agra	Ch.OS	01
		SSE/Drawing	01
		SSE/TRD	02
		SSE/Electrical General	01
Total			05
04	DY. CTM/GS	Traffic Inspector	04
Total			04
05	Sr.DFM	SO	01
		Account Assistant	01
Total			02
Grand Total			28

3. उपरोक्त पदों पर सेवानिवृत्त रेल कर्मचारियों को पुनः नियुक्ति के लिए रेलवे बोर्ड एवं मुख्यालय प्रयागराज द्वारा निर्धारित निम्नलिखित शर्तें पूर्ण करने के उपरान्त ही पुनर्नियोजित किया जायेगा—

- (i) सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पुनर्नियोजन एक वर्ष की अवधि के लिए वैध होगा। और प्रशासनिक आवश्यकताओं के अनुसार उसमें परिवर्तन किया जा सकता है।



शेष पृष्ठ-2-पर

- (ii) उक्त योजना में उपर अंकित निर्धारित पदों के अनुरूप पद एवं विभाग से सेवानिवृत्त कर्मचारी निर्धारित प्ररूप पर आवेदन कर सकते है।
- (iii) पुनः नियोजन हेतु अधिकतम आयु सीमा 65 वर्ष है और पुनः नियुक्ति के दौरान किसी भी मामले में ऐसे कर्मचारी की आयु निर्धारित सीमा से अधिक नहीं होगी।
- (iv) प्रशासन को यह अधिकार होगा कि जिन पुनर्नियोजित सेवानिवृत्त कर्मचारियों का कार्य/व्यवहार सन्तोषजनक नहीं होने पर पुनर्नियोजन की अवधि पूर्ण होने से पूर्व ही उनकी सेवाये 7 दिन का नोटिस देकर समाप्त की जा सकती है। पुनर्नियोजित सेवानिवृत्त कर्मचारी 7 दिन का नोटिस देकर अपनी सेवाये समाप्त कर सकते है।
- (v) अनुशासनात्मक कार्यवाही के परिणाम स्वरूप रिमूव/डिसमिस/स्वैच्छिक सेवानिवृत्त/अनिवार्य सेवानिवृत्त किये गये कर्मचारी पुनर्नियोजन हेतु पात्र नहीं हैं।
- (vi) पुनर्नियोजन कर्मचारियों को पारिश्रमिक राशि का भुगतान मासिक आधार पर किया जयेगा। सेवानिवृत्ति के समय अन्तिम वेतन (i.e. **Basic Pay + DA**) में से पेशन को घटाने के उपरान्त मासिक पारिश्रमिक निर्धारित किया जायेगा। मासिक पारिश्रमिक एवं पेशन मिलाकर सेवानिवृत्ति के समय अन्तिम वेतन की राशि से अधिक नहीं होगा।
- (vii) पुनर्नियोजित कर्मचारी मासिक निश्चित पारिश्रमिक को छोडकर किसी अन्य लाभ या सुविधाओं के लिए हकदार नहीं होंगे।
- (viii) सेवानिवृत्त कर्मचारी पुनर्नियोजन के सभी नियमों और शर्तों का पालन करने के लिए एक अनुबंध निष्पादित करेगा।
- (ix) पुनर्नियोजन के समय सेवानिवृत्त कर्मचारी को निर्धारित कोटि की मेडीकल परीक्षा को पास करना होगा।
- (xi) सेवानिवृत्त कर्मचारियों से प्राप्त आवेदनों की उपयुक्ता/योग्यता का निर्धारण सम्बधित समिति द्वारा उनके पुनर्नियोजन से पहले व्यक्तिगत साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा।
- (xii) पुनर्नियोजित कर्मचारी की ड्यूटी के घंटे 8 घंटे या आवश्यकतानुसार होंगे। एक दिन के साप्ताहिक अवकाश के साथ प्रशासन द्वारा कार्यों की आवश्यकता के अनुसार ड्यूटी में परिवर्तन किया जा सकता है।
- (xiii) निम्नलिखित दस्तावेजों की प्रति आवेदन के साथ सलंगन की जानी चाहिए और यह अनिवार्य है:-

1. सेवा प्रमाणपत्र
2. पेन्शनर पहचान पत्र
3. पेन्शन भुगतान आदेश
4. अन्तिम तीन वर्षों की एपीएआर




शेष पृष्ठ-3-पर

(xiii) पुनर्नियोजन हेतु जारी अधिसूचना, पदों का विवरण एवं निर्धारित शर्तें उत्तर मध्य रेलवे की ऑफिसियल वेबसाइट www.ncr.indianrailway.gov.in पर लिंक "About us-Divisions-Agra Division-Personnel-Recruitment-Other Recruitment" के अन्तर्गत देखी जा सकती हैं।

अतः इच्छुक सेवानिवृत्त रेल कर्मचारी अपना पूर्ण रूप से भरा हुआ आवेदन पत्र दिनांक 01.11.2022 सांय 18:00 बजे तक मंडल रेल प्रबन्धक (कार्मिक) आगरा कार्यालय में रखे बॉक्स में डाल सकते हैं या मण्डल रेल प्रबन्धक (कार्मिक), भर्ती अनुभाग, उत्तर मध्य रेलवे, आगरा छावनी (उत्तर प्रदेश) पिन कोड-282001 के पते पर भेज सकते हैं। अन्तिम तिथि के उपरान्त प्राप्त आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

संलग्न-1. आवेदन पत्र का प्रारूप एनेक्जर-"ए" में।


(के०एल०जायसवाल)
मंडल कार्मिक अधिकारी
कृते मंडल रेल प्रबंधक/कार्मिक
उत्तर मध्य रेलवे, आगरा।

- प्रतिलिपि-1. मं०रे०प्र०, उ० म० रे०, आगरा को सादर सूचनार्थ।
2. अ० मं० रे० प्र० (इनफा./परिचालन/एसएस) आगरा को सादर सूचनार्थ।
 3. मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी, उ.म. रेलवे, इलाहाबाद- कृपया उपरोक्त नोटिफिकेशन को समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाने की व्यवस्था करें। एलोकेशन हेड संख्या- 03000/03031321 है।
 4. वरि०मंडल वित्त प्रबंधक आगरा-उत्तर मध्य रेलवे की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
 5. मंडल सचिव एनसीआरईएस/एनसीआरएमयू/एससीएसटी एवं ओबीसी एसोशिएसन आगरा मंडल को सूचनार्थ प्रेषित है।
 6. सचिव, पेंशनर एसोशिएसन, आगरा को सूचनार्थ प्रेषित है।

Application for Re-engagement in Agra Division North Central Railway
(Notification No. P/Agra/G/GSU Dated 11.10.2022)

To
Divisional Railway Manager (P)
North Central Railway, Agra.

Affix recent
Passport Size
Colour
Photograph with
Signature across
the Photo

I hereby apply for re-engagement as in Department.....
on Agra Division. North Central Railway on monthly remuneration basis. On terms
and conditions mentioned in the said notification my service particulars are as
below.

1. Name:-.....
2. Designation at the time of retirement:-
3. Division/unit/Department from where retired:-
4. Date of Birth:-
5. Date of retirement:-
6. Retirement on Superannuation/VRS/LARSGESS or any other retirement (specify)
7. Address for correspondence:-.....
8. Tel. No.:-
9. Last pay Drawn-Pay Band Rs.....GP.....000..
10. PPO No.....Date.....
11. Enclosure (copy of document).....

- A) Service Certificate
- B) Pension Identity Card
- C) Pension Payment Order
- D) APAR Last Three years.

I declare that the information furnished above is true to the best of my
knowledge and I am liable for punitive action if found false/incorrect. I also
declare that I have gone through the terms and conditions stipulated in the
Notification and I shall abide by them.

Date.....

Signature of the Applicant
Name-.....
Place-.....